(130)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/2310 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–6–201 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 56/अपील/15–16.

बाबूलाल पिता आशाराम
निवासी ग्राम पिपलिया मंडी
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....आवेदक

विरूद्ध

तारचंद पिता आशाराम
निवासी बहिपार्श्वनाथ
तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर .....अनावेदक

श्री सुभाष वम्बोरिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री अश्विन चौधरी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक बाबूलाल द्वारा सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, मन्दसौर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बही स्थित भूमि सर्वे कमांक 343/1 रकबा 0.411 आरी उसकी माता के स्वामित्व की भूमि थी । उक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उसकी माता द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीतयनामा निष्पादित किया गया है, अतः वसीयतनामा के आधार पर उसका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार, मल्हारगढ़ की ओर प्रेषित किया गया । तहसीलदार द्वारा

प्रकरण कमांक 9/अ–6/95–96 दर्ज कर दिनांक 29–6–96 को आदेश पारित कर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 21–7–14 को लगभग 18 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–12–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 28–8–2015 को अंतिम आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर मृतक भवरीबाई के नाम की भूमि सर्वे कमांक 343/1 रकबा 0.411, जिसका नया सर्वे कमांक 789 रकबा 0.41 पर मृतक के वारिस हीरालाल, बाबूलाल, ताराचंद, अयोध्या बाई का नामांतरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–6–17 को आदेश पारित कर अपील निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्व. भंवरीबाई द्वारा उसके स्वत्व की भूमि का वसीयतनामा आवेदक के पक्ष में दिनांक 5–8–1995 को निष्पादित किया गया था । अतः तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकृत करने में विधिसंगत आदेश पारित किया गया था, जिस पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा 20 वर्ष पश्चात तहसील न्यायालय में आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–6–2015 को आदेश पारित कर इस आधार पर निरस्त किया गया था कि पूर्व में दिनांक 29–6–1996 को तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आदेश पारित किया जा चुका है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक ने व्यवहार न्यायालय में वाद पत्र स्वत्व घोषणा एवं पश्चातवर्ती सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद कमांक 16ए/1979 पंजीबद्ध हुआ था । व्यवहार न्यायालय के

उक्त वाद में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा प्रस्तुत हुआ था, जिसके आधार पर व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 17–8–82 को निर्णय एवं जय पत्र पारित किया किया गया है, जिसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 343 रकबा 0.41 हेक्टेयर स्व. भंवरीबाई को बटवारे में प्राप्त हुई थी और भंवरीबाई द्वारा उक्त भूमि आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, जिसका कि उसे अधिकार प्राप्त था । इस आधार पर कहा गया कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय एवं जयपत्र के माध्यम से बटवारे में प्राप्त भूमि के संबंध में निष्पादित वसीयतनामा अवैध नहीं हो सकता, जिस पर दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के संबंध में विधि अनुसार एक साक्ष्य ही पर्याप्त है, इस बिन्दु पर भी दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है, इसलिए उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:–

(1) आवेदक द्वारा फर्जी वसीयत तैयार कर ली गई है, जबकि भूमि पैतृक है, स्वअर्जित नहीं है, इस कारण उक्त भूमि की वसीयत नहीं हो सकती थी और वसीयत किसी भी साक्षी से प्रमाणित नहीं है । वसीयत के साक्षी बाबूलाल के कथन लिये गए, किन्तु उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए उक्त प्रमाण साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है ।

(2) भंवरीवाई के समस्त वारिसानों को सूचना पत्र भी जारी नहीं किए गए थे और वसीयत में अन्य वारिसों को भूमि क्यों नहीं दी गई, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है । वसीयत के साक्षी बद्रीलाल द्वारा कथन में अपने हस्ताक्षर न होना व्यक्त किया है, इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–8–2015 को आदेश पारित कर भंवरीबाई की भूमि पर उसके वारिस हीरालाल, बाबूलाल, ताराचंद, अयोध्याबाई का नामांतरण किया गया है, जो कि सही आदेश है ।

(3) वसीयतनामा विवादित होने व स्वत्व का विवाद होने से सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने यह तो माना है कि तहसील न्यायालय द्वारा सभी वारिसान को नहीं सुना गया है लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी सभी वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रकरण में यह महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है कि क्या प्रश्नाधीन पैतृक सम्पत्ति का पूर्व में पूर्ण रूप से बटवारा हुआ था और बटवारे में प्रश्नाधीन भूमि वसीयतकर्ता भंवरी बाई को हिस्से में प्राप्त हुई थी । वसीयतकर्ता भंवरी बाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामा में उल्लिखित प्रश्नाधीन भूमि भंवरी बाई की पैतृक सम्पत्ति है या स्वअर्जित है, उपरोक्त स्थिति उभय पक्ष के साक्ष्य से ही स्पष्ट हो सकती है । प्रकरण में व्यवहार न्यायालय की डिक्री भी है, किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, इसलिए उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य नहीं है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–17 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर